

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 366] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 1978/अग्रहायण 30, 1900
No. 366] NEW DELHI, THURSDAY, DEC. 21, 1978/AGRAHAYANA 30, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह खलम संकलन को रूप में
रख्य जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1978

सा. का. नि. 588 (अ).—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 के साथ पठित धारा 53-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से एतद्द्वारा कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) नियम, 1975 में आगे संशोधन करके निम्नीलिखित नियम बनाती है, नामशः—

1. (1) ये नियम कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) पाँचवां संशोधन नियम, 1975 कहें जाएँ

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

2. कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) नियम, 1975 के नियम 2 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (111) में "या अन्य वित्तीय कम्पनी या जनवित्तीय संस्थान से जो भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इसके निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए" के शब्दों के स्थान पर, "आइल इण्डस्ट्री डिवलपमेंट बोर्ड या कोई अन्य वित्तीय कम्पनी या जनवित्तीय संस्थान से जो भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इसके निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द प्रतिस्थापित होंगे।

[फा. सं. 4/26/76-सी. एल.-10]

एस. सी. मिस्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 1978

G.S.R. 586(E).—In exercise of powers conferred by section 58A, read with section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Fifth Amendment Rules, 1978.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-clause (iii) of clause (b) of rule 2 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 for the words "or from any other financial company or public financial institution which may be notified by the Central Government in this behalf in consultation with the Reserve Bank of India", the words "or from the Oil Industry Development Board or from any other financial Company or public financial institution which may be notified by the Central Government in this behalf in consultation with the Reserve Bank of India" shall be substituted.

[No. 4/26/76-CL. XI]

S. C. MITAL, Jt. Secy.